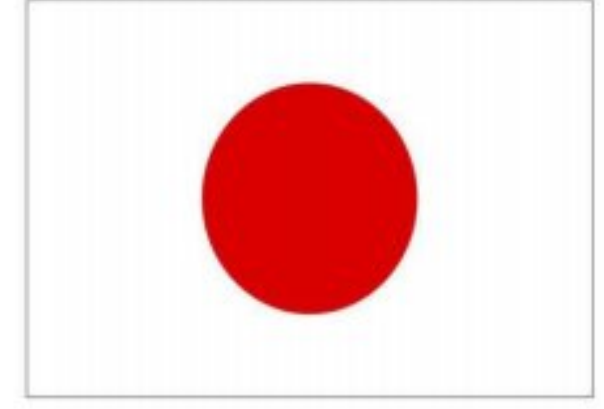




# आजीविका वर्धन व्यवसाय योजना

(आचार, जूस, जेम और जोलनु बनाना)

हिडिम्बा स्वयं सहायता समूह  
वी. एफ. डी. एस. बारिंग



|                       |    |                            |
|-----------------------|----|----------------------------|
| एस.एच.जी. नाम         | :: | हिडिम्बा स्वयं सहायता समूह |
| वी.एफ.डी.एस. नाम      | :: | बारिंग                     |
| एफ.टी.यू. / रेंज      | :: | पट्टन                      |
| डी.एम.यू. / मंडल      | :: | लाहौल                      |
| एफ.सी.सी.यू. / सर्किल | :: | कुल्लू                     |

हिमाचल प्रदेश वन परितंत्र एव आजीविका सुधार परियोजना  
जाईका वित्तपोषित

## अनुक्रमणिका

| क्र०सं० | विवरण                                          | पृष्ठ संख्या |
|---------|------------------------------------------------|--------------|
| 1       | कार्यकारिणी सारांश                             | 1-2          |
| 2       | परिचय                                          | 3            |
| 3       | स्वयं सहायता समूह की सूची                      | 4            |
| 4       | समूह का विवरण                                  | 5            |
| 5       | ग्राम की भौगोलिक स्थिति                        | 6-7          |
| 6       | आय सृजन गतिविधि से सम्बंधित उत्पाद का विवरण    | 7            |
| 7       | उत्पादन की प्रक्रिया                           | 8            |
| 8       | उत्पादन हेतु नियोजन                            | 9-10         |
| 9       | बिक्री का विवरण                                | 10           |
| 10      | समूह के मध्यप्रबंधन का विवरण                   | 11           |
| 11      | संभावित जोखिम व उनको कम करने के उपाय           | 12           |
| 12      | परियोजना की अर्थ व्यवस्था का विवरण             | 12-14        |
| 13      | उद्यम हेतु लागत - लाभ विश्लेषण                 | 14           |
| 14      | समूह की वित्तीय आवश्यकता                       | 15           |
| 16      | सम विच्छेदन बिंदु की गणना (ब्रेक इविन प्वाइंट) | 15           |
| 17      | स्वयं सहायता समूह के नियमों की सूची            | 16           |
| 18      | समूह का सहमती पत्र                             | 17           |
| 19      | समान रुचि समूह के प्रत्येक सदस्य के फोटोग्राफ  | 18           |

## 1.परिचय

हिमाचल प्रदेश के पश्चिम हिमालय क्षेत्र में स्थित पहाड़ी राज्य है। जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्धि संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश की जलवायु बहुत उपयुक्त है तथा अनेक छोटी-बड़ी नदियां व घाटियां प्रदेश की सुंदरता को बढ़ाती है। प्रदेश की कुल आबादी 70लाख है। इसका भौगोलिक क्षेत्र 55673 वर्ग किलोमीटर है जो कि शिवालिक पहाड़ियों के ऊपरी हिमालय के शीत मरुस्थल क्षेत्र तक फैला हुआ है। यहां कृषि व बागवानी मुख्य व्यवसाय है। हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में लाहौल जिला पर्यटन कृषि व जड़ी-बूटी के लिए प्रसिद्ध है।

गांव व डा0 जहालमा तहसील केलोंग, जिला लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लाहौल जिले की घाटियों को भौतिक संरचना के आधार पर तरह-तरह के नाम दिए गए हैं, जिसमें एक नाम पट्टन वैली है। जुण्डा, लाहौल मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जिला लाहौल स्पिति का दुर्गम जनजातीय क्षेत्र है।

गांव जहालमा में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि व बागवानी है। अधिकतर लोगों के पास बहुत कम जमीन है, जिसके कारण उनकी आजीविका का निर्वाह अच्छे ढंग से नहीं हो पा रहा है।

जीवन निर्वाह को अच्छा करने के लिए लोग नकदी फसल व बागवानी का कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। गांव में लोग बुनाई का कार्य भी कर रहे हैं, परंतु उत्पादन पारंपरिक तरीके से होता है। इससे उत्पादन कम और आय भी कम होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए व उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने के लिए इन महिलाओं को उन्नत किस्म के यंत्रों के बारे में जो इस उत्पादन के लिए उपयुक्त है, उनकी जानकारी की आवश्यकता है।

हिमाचल प्रदेश वन परितंत्र एवं प्रबंधन एवं आजीविका सुधार परियोजना ने गांव में ग्राम वन समिति बरिंग के गठन के बाद लोगों को आजीविका के साधन बढ़ाने के लिए समूह में कार्य करने के बारे में बताया। परियोजना के माध्यम से जहालमा में "हिडिम्बा स्वयं सहायता समूह" का गठन किया गया। इसके बाद समूह ने सिलाई का कार्य करने का निर्णय लिया। इस समूह में 12 सदस्य शामिल हुए।



वी.एफ.डी.एस. बरिंग - पौध रोपण क्षेत्र

## हिडिम्बा स्वयं सहायता समूह की सूची

| क्रमांक | लाभार्थी का नाम व पता | पद     | आयु | लिंग   | योग्यता          | श्रेणी           |
|---------|-----------------------|--------|-----|--------|------------------|------------------|
| 1       | तनजीन                 | प्रधान | 43  | स्त्री | 10 <sup>th</sup> | अनुसूचित जन जाति |
| 2       | सुमन                  | सचिव   | 38  | स्त्री | 10 <sup>th</sup> | अनुसूचित जन जाति |
| 3       | कृष्णा                | सदस्य  | 53  | स्त्री | 10 <sup>th</sup> | अनुसूचित जन जाति |
| 4       | साक्षी                | सदस्य  | 53  | स्त्री | 10 <sup>th</sup> | अनुसूचित जन जाति |
| 5       | मोनिका                | सदस्य  | 42  | स्त्री | B.A              | अनुसूचित जन जाति |
| 6       | सन्तोष                | सदस्य  | 53  | स्त्री | 10 <sup>th</sup> | अनुसूचित जन जाति |
| 7       | प्रोमिला              | सदस्य  | 56  | स्त्री | -                | अनुसूचित जन जाति |
| 8       | रिगजिन                | सदस्य  | 70  | स्त्री | -                | अनुसूचित जन जाति |
| 9       | अंग्मो                | सदस्य  | 69  | स्त्री | 8 <sup>th</sup>  | अनुसूचित जन जाति |
| 10      | टशी                   | सदस्य  | 57  | स्त्री | -                | अनुसूचित जन जाति |
| 11      | पालकी                 | सदस्य  | 58  | स्त्री | --               | अनुसूचित जन जाति |
| 12      | सोनी                  | सदस्य  | 59  | स्त्री | -                | अनुसूचित जन जाति |

## 1. स्वयं सहायता समूह विवरण

|    |                                                  |                            |
|----|--------------------------------------------------|----------------------------|
| 1  | समूह का नाम                                      | हिडिम्बा स्वयं सहायता समूह |
| 2  | ग्राम वन विकास समिति                             | बारिंग                     |
| 3  | वन परिक्षेत्र / क्षेत्रीय तकनीकी इकाई            | पट्टन                      |
| 4  | वनमंडल/ मंडलीय प्रबंधन इकाई                      | लाहौल                      |
| 5  | गांव                                             | जहालमा                     |
| 6  | विकासखंड                                         | केलोंग                     |
| 7  | जिला                                             | लाहौल- स्पीति              |
| 8  | समान सूची समूह में कुल सदस्यों की संख्या         | 12                         |
| 9  | समूह के गठन की तिथि                              | 3 मार्च 2024               |
| 10 | बैंक खाता संख्या                                 | 13260110033395             |
| 11 | बैंक का नाम और शाखा जहां समूह का खाता संचालित है | यूको बैंक जाहलमा           |
| 12 | स्वयं सहायता समूह की मासिक बचत                   | 100                        |

## 2. ग्राम की भौगोलिक स्थिति-

|   |                                                                 |                                        |
|---|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1 | जिला मुख्यालय से दूरी                                           | 30 किलोमीटर (लगभग)                     |
| 2 | स्थानीय बाजार का नाम और दूरी                                    | जाहलमा                                 |
| 3 | प्रमुख बाजार का नाम और दूरी                                     | केलोंग , 30 किलोमीटर                   |
| 4 | प्रमुख शहरों से दूरी                                            | कुल्लू 132 किलोमीटर, मनाली 90 किलोमीटर |
| 5 | मुख्य शहरों के नाम जहां उत्पाद का विक्रय/ विपणन किया जाएगा      | उदयपुर, कुल्लू, भुंतर, मनाली           |
| 6 | प्रस्तावित आय सृजन गतिविधि के संबंध में गांव की कोई विशेष सूचना | कृषि व बागवानी करते हैं।               |

### **(1) व्यवसाय योजना की आवश्यकता क्यों ?**

ग्राम वन विकास समिति बारिंग में महिलाओं का समूह गठित किया जिसमें समूह की सभी महिलाएं आचार जेम जूस और जोलनु बनाने का कार्य करके अपनी आजीविका को बढ़ाना चाहती हैं इसीलिए महिलाओं ने समूह के माध्यम से JICA परियोजना से व्यवसाय में काम आने वाली सामग्री प्रदान करने तथा उचित प्रशिक्षण की मांग की है।

### **(2) व्यवसाय योजना के उद्देश्य :**

समूह की सभी सदस्यों की क्षमता का निर्माण करना।  
समूह के लिए निरंतर आय के साधन उपलब्ध कराना।  
उत्पाद को उचित बाज़ार से जोड़ना।  
सभी सदस्यों को समूह में काम करने के लिए प्रेरित करना।  
सिलाई व्यवसाय की नवीनतम एवं आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देना।  
आजीविका की बढ़ोतरी।

### **(3) व्यवसाय योजना में निम्न कार्य शामिल हैं :**

समूह के सदस्य आचार जेम जूस और जोलनु बनाने का कार्य बनाने का कार्य करने का निर्णय लिया है।

### **(4) सामुदायिक गतिशीलता :**

इसके अंतर्गत ग्रामीणों में जागरूकता एवं सामुदायिक गतिशीलता के उपरान्त आजीविका वर्धन के विकल्प का चयन किया गया है।

### **(5) समूह का निर्माण :**

स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को एकत्रित कर समूह का गठन किया गया है तथा समूह का अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष का सर्वसहमति से चुनाव किया गया है। समूह की सदस्यों की सहमति से समूह के लिए नियम एवं शर्तें निर्धारित करके उन्हें लागू करने का प्रावधान किया गया है।

### **(6) क्षमता का निर्माण:**

लाभार्थियों की क्षमता निर्माण हेतु उनका उचित प्रशिक्षण करवाया जाना आवश्यक है।

### **(7) व्यवसाय में इस्तमाल होने वाली सामग्री इत्यादि का वितरण:**

समूह के सभी सदस्यों को व्यवसाय में इस्तमाल होने वाली सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि अच्छे ढंग से कार्य कर सकें।

### **(8) बाज़ार से जोड़ना :**

अपने उत्पाद को बेचने के लिए समूह किसी सरकारी व निजी सोसाइटी से उचित शर्तों के साथ संबंध स्थापित करने लिए तैयार है। विक्रय के लिए लोकल बाजारों के दुकानदारों से जोड़ कर, मेलों में प्रदर्शनी लगाकर और नेचर अवेयरनेस पार्क में दुकान लगाकर आय कमाने हेतु

जोड़ा जाएगा। अधिक उत्पादन होने पर कुल्लू और मनाली बाज़ार के क्षेत्र में दुकानदारों से जुड़ कर कार्य करेगी।

**(9) वित्तीय संस्थानों एवं संबंधित विभागों से जोड़ना :**

व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए समूह को वित्तीय संस्थानों से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा तथा उन्हें विभिन्न बैंकों द्वारा दी जा रही ऋण सुविधाओं से अवगत करवाया जाएगा तथा परियोजना द्वारा बैंकों से जोड़ा जाएगा।

**(10) बाज़ार की जानकारी:**

उदेयपुर, केलोंग, भुन्तर, कुल्लू और मनाली बाज़ार के क्षेत्र में दुकानदारों के साथ जुड़कर कार्य करेगी।

**(11) अपेक्षित सहायता एवं संसाधन :**

वित्तीय प्रबंधन पूंजीगत व्यवसाय का 75 % परियोजना द्वारा डी जाएगी, शेष 25 % समूह के सदस्यों को वहन करना होगा।

तकनीकी सहायता के लिए गाँव में ही परियोजना द्वारा उचित प्रशिक्षण का प्रावधान जाएगा।

**(12) अनुमानित लाभ:**

महिलाओं के लिए घरेलू रोज़गार उपलब्ध होगा।

समूह के सभी सदस्यों के लिए आजीविका वर्धन का दीर्घ कालीन एवं निरंतर साधन उपलब्ध होगा।

समूह की महिलाएं इस कार्य को खाली एवं अतिरिक्त समय में कर सकती हैं।

**4. आय सृजन गतिविधि से संबंधित उत्पाद का वितरण-**

|   |                                                            |                                         |
|---|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 | उत्पाद का नाम                                              | आचर जूस जेम झोलनु बनाना, और बुनाई करना। |
| 2 | स्वयं सहायता समूह/समान सूची समूह/ सदस्यों की सामूहिक सहमति | हां।                                    |

**5. उत्पादन की प्रक्रियाओं का विवरण-**

सर्वप्रथम स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को परियोजना द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के उपरांत समूह के सदस्य द्वारा उत्पाद तैयार करने में निम्न प्रक्रिया की जाएगी:-

खाद्य सामग्री तैयार करने के लिए उपयुक्त सामग्री प्रदान की जाएगी।

समूह में कुछ सदस्य आचर की नसंग्री इकठ्ठा करने और आचार बनाने का कार्य करेंगे, कुछ सदस्य जेम और जूस को बनाने का कार्य करेंगे और सर्दियों के महिनो में सभी सदस्य मिल कर झोलनु और बुनाई का कार्य करेंगे। समूह में सभी सदस्य मिल कर विपणन करेंगे और कच्चा माल भी लाएंगे।

## 6. उत्पादन हेतु नियोजन-

|                                 |   |               |
|---------------------------------|---|---------------|
| प्रति माह कार्य दिवस            | : | 30 दिवस       |
| प्रति माह काम करने वाले व्यक्ति | : | 12 व्यक्ति    |
| कच्चे माल का स्रोत              | : | केलॉग, कुल्लू |
| अन्य संसाधनों का स्रोत          | : | केलॉग, कुल्लू |

नोट: स्वयं सहायता समूह के प्रशिक्षण का खर्च परियोजना द्वारा वहन किया जाता है।

### अनुमानित आवर्ती व्यय -

#### 1. आचार के लिए सामग्री की आवश्यकता एवं अनुमानित उत्पादन -

| क्र० | सामग्री का नाम                           | इकाई | मात्रा    | दर प्रति किलो | राशि        |
|------|------------------------------------------|------|-----------|---------------|-------------|
| 1    | गुल गोभी                                 | किलो | 10        | 40            | 400         |
| 2    | गाजर                                     | किलो | 10        | 30            | 300         |
| 3    | मूली                                     | किलो | 10        | 30            | 300         |
| 4    | लगभग 30 किलो आचार के लिए मसाले की मात्रा | -    | -         | -             | 1000        |
|      | <b>जोड़ा</b>                             |      | <b>30</b> |               | <b>2000</b> |

#### 2. जूस और जेम के लिए सामग्री की आवश्यकता एवं अनुमानित उत्पादन -

| क्र० | सामग्री का नाम | इकाई | मात्रा | दर प्रति किलो | राशि         |
|------|----------------|------|--------|---------------|--------------|
| 1    | सेब            | किलो | 20     | 100           | 2000         |
| 2    | छरमा           | किलो | 20     | 700           | 14000        |
|      | <b>जोड़ा</b>   |      |        |               | <b>16000</b> |

#### 3. जुराब और झोलनु सामग्री की आवश्यकता एवं अनुमानित उत्पादन

| क्र० | सामग्री का नाम  | इकाई | मात्रा | दर प्रति किलो | राशि         |
|------|-----------------|------|--------|---------------|--------------|
| 1    | धागा            | किलो | 10     | 500           | 5000         |
| 2    | झोलनु का सामान  |      |        |               | 5000         |
|      | <b>जोड़ा</b>    |      |        |               | <b>10000</b> |
| 1    | पैकिंग सामग्री  | -    | -      | -             | <b>10000</b> |
|      | <b>कुल कीमत</b> |      |        |               | <b>38000</b> |

### 2. अनुमानित विक्रय मूल्य -

| क्र० | उत्पादन का नाम                | इकाई | मात्रा | दर प्रति किलो | राशि         |
|------|-------------------------------|------|--------|---------------|--------------|
| 1    | मिक्स आचार (गोभी, मूली, गाजर) | किलो | 30     | 300           | 9000         |
| 2    | सेब का जेम                    | किलो | 20     | 500           | 10000        |
| 3    | छरमा का जूस                   | किलो | 20     | 1500          | 30000        |
| 4    | झोलनु                         |      |        |               | 25000        |
| 5    | जुराब                         |      |        |               | 20000        |
|      | <b>कुल कीमत</b>               |      |        |               | <b>94000</b> |

## 7. अनुमानित पूंजीगत व्यय –

| क्र० | सामग्री का नाम  | इकाई | मूल्य        |
|------|-----------------|------|--------------|
| 1    | बड़े पत्तीले    | 3    | 6000         |
| 2    | छोटा पत्तीला    | 3    | 3000         |
| 3    | कुकर            | 2    | 10000        |
| 4    | चुल्हा          | 2    | 9000         |
| 5    | करछी            | 4    | 2000         |
| 6    | छननी            | 4    | 800          |
| 7    | एनडकशन          | 1    | 10000        |
| 8    | परात            | 3    | 2400         |
| 9    | चाकू            | 5    | 250          |
| 10   | पिलर            | 3    | 150          |
| 11   | केंची           | 12   | 3000         |
| 12   | टप              | 4    | 6000         |
| 13   | एयर टाईट कनटेनर | 5    | 12500        |
| 14   | मिक्सर          | 1    | 8000         |
|      | <b>कुल योग</b>  |      | <b>73100</b> |

## 8. समूह के मध्यप्रबंधन का विवरण-

प्रबंधन के लिए नियम बनाए जाएंगे।  
समूह के सदस्य आपसी सहमति से कार्यों का बंटवारा करेंगे।  
बंटवारा कार्य की कुशलता एवं क्षमता के आधार पर किया जाएगा।  
लाभ का बंटवारा भी कार्य की गुणवत्ता, कुशलता तथा मेहनत के आधार पर किया जाएगा।  
विपणन करने वाले सदस्यों को कुल बिक्री राशि पर 5% कमीशन दी जाएगी ॥

### शक्ति, दुर्बलता, अवसर तथा चुनौती का विश्लेषण (Swot Analysis)

#### शक्ति

महिलाओं में कार्य करने की लगन है।  
समूह में अनुभवी सदस्य भी है।

#### दुर्बलता

महिलाएं कृषि व पशुपालन के कार्य भी करती हैं।  
कार्य के लिए 2 से 3 घंटे का समय ही निकाल पाना।  
समूह में पहली बार कर रहे हैं।

#### अवसर

हिमाचल प्रदेश वन परितंत्र प्रबंधन परियोजना से सहयोग व निधि मिलेगी।  
प्रशिक्षण से कुशलता व क्षमता में बढ़ोतरी होगी।  
उत्पादकों की लोकल व शहरों में मांग है।  
कुल्ल, मनाली, उदयपुर, त्रिलोकीनाथ, चंद्रताल पर्यटक स्थल है।

### चुनौती

बाजार की स्थिति (डिमांड) को ना समझना।  
अन्य उत्पाद केंद्रों से प्रतिस्पर्धा।  
उपभोक्ताओं से तालमेल की कमी।

## 9. संभावित चुनौतियां तथा उनको कम करने के उपायों का विवरण

| क्र०सं० | जोखिमों/चुनौतियों का विवरण                         | जोखिम कम करने के उपाय                                                         |
|---------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1.      | बाजार की स्थिति(डिमांड) को ना समझना।               | समय-समय पर बाजार की मांग के अनुसार चलना।                                      |
| 2.      | अच्छे उत्पाद तैयार ना करना।                        | उपभोक्ताओं के मनपसंद उत्पाद तैयार करना।                                       |
| 3.      | अन्य उत्पाद केंद्रों से प्रतिस्पर्धा।              | अन्य उत्पाद केंद्रों से बेहतर उत्पाद बनाना व शुरू में कम लाभ कमाना।           |
| 4.      | उपभोक्ताओं से तालमेल की कमी।                       | उपभोक्ताओं से हमेशा संपर्क में रहना।                                          |
| 5.      | कृषि, बागवानी व पशुपालन कार्य में ज्यादा व्यवस्था। | कृषि, बागवानी व पशुपालन और घर के अन्य कार्य में साथ साथ सिलाई में ध्यान देना। |
| 6.      | समूह में बंटवारा                                   | समूह में बंटवारा कुशलता व क्षमता के आधार पर करना। पारदर्शिता से कार्य करना।   |
| 7.      | उत्पाद की गुणवत्ता घटने से बिक्री कम हो सकती है।   | गुणवत्ता बनाए रखने के लिए समूह को उच्च मापदंड रखने होंगे।                     |

## 10. अर्थ व्यवस्था का विवरण

### पूंजीगत व्यय

| क्र०सं० | विवरण                                   | मूल्य(रु में) |
|---------|-----------------------------------------|---------------|
| 1       | अनुमानित आवर्ती व्यय                    | 38000         |
| 2       | अनुमानित विक्रय मूल्य                   | 94000         |
| 3       | पूंजीगत व्यय                            | 73100         |
| 4       | पूंजीगत व्यय पर 10: वार्षिक मूल्य ह्रास | 609           |

## 11. उधम हेतु लागत - लाभ विश्लेषण (एक चक्र के लिए)

| क्र० | विवरण                                                                                  | धनराशि (रु)             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1    | पूँजीगत व्यय पर 10% वार्षिक मूल्य ह्रास                                                | 609                     |
| 2    | आवर्ती व्यय                                                                            | 38000                   |
|      | मजदूरी                                                                                 | 10000                   |
|      | अन्य खर्चा बिजली, किराया, स्टीकर इत्यादि                                               | 5000                    |
|      | योग                                                                                    | 53000                   |
| 3    | कुल लाभ                                                                                | 94000-(609+53000)=40391 |
|      | उत्पाद की बुनाई से सकल लाभ = कुल लाभ + (मजदूरी एवं कमरा किराया) =40391+ (10000 + 1000) | 51391                   |

## 12. धन की आवश्यकता

समूह की वित्तीय आवश्यकता :

| क्र०स० | विवरण                             | कुल व्यय |
|--------|-----------------------------------|----------|
| 1      | परियोजन द्वारा सहायता धनराशि 75 % | 54825    |
| 2      | लाभार्थी अंश 25%                  | 18275    |
|        | कुल                               | 73100    |

## 13. सम विच्छेदन बिंदु (ब्रेक इविन प्वाइंट) की गणना

ब्रेक इवन पॉइंट = पूँजीगत व्यय / विक्रय मूल्य - आवर्ती व्यय

$$= 73100 / 94000 - 38000 = 73100 / 56000$$

$$= 1.30 \text{ माह} = 1.30 \times 30 = 39 \text{ दिन}$$

उपरोक्त अनुपात में "ब्रेक इवन पॉइंट" 39 दिनों में प्राप्त होगा! दूसरे शब्दों में इस गतिविधि में लगी गयी धनराशी 39 दिनों में प्राप्त हो जाएगा |

## **14. हिडिम्बा स्वयं सहायता समूह नियमों की सूची-**

1. समूह का काम : **आचार, जूस, जेम और झोलनु बनाना ।**
2. समूह का पता : **गाँव व डाकघर जाहलमा, तहसील केलोंग, जिला लाहुल स्पिति, हिमाचल प्रदेश ।**
3. समूह के कुल सदस्य: **12**
4. समूह की मासिक बैठक हर माह की 1 तारीक को होगी ।
5. समूह के सभी सदस्य हर माह की बचत की गई राशि को समूह में जमा करेंगे ।
6. स्वयं सहायता समूह की बैठक में सभी सदस्य को शामिल होना पड़ेगा ।
7. समूह की बैठक में गैर हाज़िर रहने के लिए प्रधान व सचिव को उचित कार्य बता कर अनुमति लेनी होगी ।
8. समूह में जो बचत की राशी जमा नहीं करवाते या 3 बैठकों तक समूह से गैर हाज़िर रहते हैं तो उस व्यक्ति को समूह से निकाल दिया जाएगा ।
9. समूह में जो व्यक्ति कारण बताए वगैर गैर हाज़िर रहता है तो अगली बैठक उस व्यक्ति के घर में होगी जिसका खर्च उस व्यक्ति को खुद करना होगा अगर दो सदस्य होंगे तो खर्च मिल कर देना होगा ।
10. स्वयं सहायता समूह के प्रधान व सचिव सर्व सहमति से चुने जाएंगे ।
11. प्रधान व सचिव बैंक से लेन देन कर सकते हैं यह पद एक वर्ष तक मान्य होगा ।
12. प्रधान, सचिव या सदस्य समूह के विरुद्ध कोई काम नहीं करेगा समूह की रकम का सदा सदुपयोग करेंगे ।
13. अगर सदस्य किसी कारणवश समूह को छोड़ना चाहता है अगर इस व्यक्ति ने ऋण लिया है तो समूह को वापिस करना होगा तभी समूह को छोड़ सकता है अन्यथा नहीं ।
14. ऋण का उद्देश्य रकम की चुकोती का समय ऋण की किश्त और ब्याज की दर बैठक में तय की जाएगी ।
15. आपातकालीन स्थिति के लिए प्रधान व सचिव के पास कम से कम 1000 रुपये की राशी होनी चाहिए ।
16. स्वयं सहायता समूह के रजिस्टर को सभी सदस्यों के सामने पढ़ा व लिखा जाना चाहिए ।
17. बड़े ऋण लेने वालों को एक सप्ताह पहले की सूचना देनी होगी ।
18. ऋण जरूरत के समय सभी सदस्यों को मिलना चाहिए ।
19. अगर सदस्य बिना कारण से समूह को छोड़ना चाहता है तो उस सदस्य की जमा रही समूह में बांटी जाएगी ।
20. समूह को अपनी मासिक रिपोर्ट प्रति माह तकनीकी क्षेत्रीय इकाई (Field Technical Unit) के कार्यालय में देनी होगी ।

## हिडिम्बा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों का फोटोग्राफ-



## समूह का सहमती पत्र

आज दिनांक 15-7-2025 को "स्वयं सहायता समूह हिडिम्बा" गाँव जहालमा में बैठक का आयोजन किया गया। समूह की प्रधान "श्रीमती तन्जीन" की अध्यक्षता में सभी सदस्यों ने मिल कर यह निर्णय लिया कि समूह की आय बढ़ाने के लिए वे सभी खाद्य प्रसंस्करण अर्थात् आचार, जूस, जेम तथा जोलनु बनाने का कार्य करके आजीविका सुधार परियोजना (JICA) से जुड़ने के लिए अपनी सहमती प्रदान करते हैं।

तन्जीन

प्रधान

स्वयं सहायता समूह हिडिम्बा

Suman  
सचिव

स्वयं सहायता समूह हिडिम्बा

कृष्णा

सहायक

मोनीका

Santosh

Pramila

रिगीविन

आरुमा

टशी

पसमी

रोनी

Suman  
Range Forest Officer  
Pattan Range  
Jahalma

Lin  
Dmu-Lum- Division Forest Office  
Lahoul at Keylong